रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 1997/कार्तिक 23, 1919
No. 633] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 1997/KARTIKA 23, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1997

का.आ. 780(अ).—साधारणतया पी.एल.ए. के रूप में ज्ञात पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी और उसके राजनीतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर.पी.एफ.), दी यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल. एफ.), दी पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और उसके सशस्त्र खण्ड "रेड आर्मी" कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र विंग जिसको भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, तथा कांगली या ओल कानबा लुप (के.वाई. के.एल.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से मैती उग्रवादी संगठन कहा गया है) ने :—

(i) मणिपुर राज्य को भारत संघ से अलग कर स्वतंत्र मणिपुर के गठन का अपना उद्देश्य खुले तौर पर घोषित कर दिया है ;

(ii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधन रखे हैं और उनका उपयोग करता है ;

(iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर आक्रमण करते रहे हैं ;

(iv) अपने संगठन के लिए धन संग्रहण हेतु असैनिक आबादी को अभित्रास, उद्यापन और लूटने की गतिविधियों में लिप्त हैं, और

(v) लोकमत को प्रभावित करने और अपने अलगाववादी उद्देश्य की अभिप्राप्ति के प्रयोजनार्थ शस्त्र और प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने हेतु विदेशी स्त्रोतों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं।

2. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से मैती उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकाए जिनमें ऊपर नामित सशस्त्र समूह भी है, विधि विरुद्ध संगम हैं।

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरूध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैती उग्रवादी संगठनों अर्थात् दी पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.) और उसके राजनीतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर.पी.एफ.), दी यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.), पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और उसकी रैड आर्मी कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और उसके सशस्त्र खण्ड जिसको भी रैड आर्मी कहा जाता है तथा कांगलीयाओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.) को गैर कानूनी संगम घोषित करती है।

4. और :—

(i) सुरक्षा बलों और असैनिक आबादी पर (सशस्त्र समूहों और मैती उग्रवादी संगठनों के सदस्यों) द्वारा आक्रमण और हिंसा के मामले

बार-बार हुए हैं तथा हो रहे हैं,

(ii) मैती उग्रवादी संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है,

(iii) निरन्तर धन संग्रहण, उद्यापन और परिष्कृत हथियार अर्जित किए जा रहे हैं,

(iv) शरण लेने, प्रशिक्षण लेने तथा हथियार और गोलाबारूद छिपाकर प्राप्त करने के लिए कुछ पड़ोसी देशों में कैम्प बनाए हुए हैं।

5. केन्द्रीय सरकार की राय है कि मैती उग्रवादी संगठन के पूर्वोक्त क्रियाकलाप, भारत की प्रभुता एवं अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यदि उन पर तुरन्त रोक न लगाई जाए और उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो उक्त मैती उग्रवादी संगठन पुनः समूहबद्ध होंगे, अपने को हथियारों से सुसज्जित करेंगे, अपने काडरों का विस्तार करेंगे, परिष्कृत हथियार प्राप्त करेंगे, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों एवं सिविलियनों की हत्या करेंगे और भारत संघ से मणिपुर को अलग करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने क्रियाकलाप की गति तीव्र करेंगे।

6. उपर्युक्त पैरा 4 और पैरा 5 में निर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह राय है कि यह आवश्यक है कि मैती उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) और इसके राजनैतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर.पी.एफ.), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.), पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (प्रीफाक), कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और उनके सशस्त्र खण्ड जिसे "रैड आर्मी" कहा जाता है, कांगली याओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.) को तत्कालिक प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाए और तदनुसार उक्त धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 8/37/97-एन ई-I]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1997

S.O. 780(E).—Whereas the Pepole's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army" and the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have :

(i) openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession of Manipur estate from the Union of India ;

(ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective ;

(iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur ;

(iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisation; and

(v) been making efforts to establish contracts with sources abroad for influencing public opinion and for securing assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely, the People's Liberation Army (PLA) and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its Red Army, the Kangkeipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the Red Army and Kanglei Yaol Kanba Lub (KYKL) to be unlawful associations.

4. And whereas —

(i) there have been repeated continuing and ongoing acts of violence and attacks by (armed groups and members of the Meitei Extremist Organisations) on the Security Forces and the civilian population;

(ii) there has been an increase in the strength of the Meitei Extremist Organisations;

(iii) there has been continued collection of funds/extortions and acquisition of sophisticated weapons;

(iv) camps in some neighbouring countries continue to be maintained for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

5 And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled the said Meitei Extremist Organisations would regroup and rearm themselves, expand their cadress, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at secession of Manipur from the Union of India.

6. Having regard to the circumstances referred in paragraph 4 and 5, Government is of the opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Orgrnisations, namely, Peoples Liberation Army (PLA) and its political wing the Revolutionary Peoples' Front (RPF), United National Liberation Front (UNLF), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak Communist Party (KCP) and their armed wing called as "Red Army", and Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) as unlawful associations with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section (3) the Central Government directs that the Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 8/37/97-NE-I]
G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997.